(74)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1456–एक/2003 विरूद्ध आदेश दिनांक 18–9–2003 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर प्रकरण कमांक 264/2002–03/अपील.

.....

1–भगवानसिंह पिता लुणाजी चोयल
निवासी रूपगढ़ तहसील पेटलावद
जिला झाबुआ म0प्र0
2–भेरूलाल पिता हीराजी सिर्वी
निवासी सदर

..... आवेदकगण

विरूद्ध

नानूराम पिता कालूजी गेहलोत (मृत वारिसान :–)
1–तेजीबाई बेबा नानूराम गेहलोत
2–मोहनलाल पिता नानूराम गेहलोत
निवास रूपगढ़ तहसील पेटलावद,
जिला झाबुआ म0प्र0

..... अनावेदक

.....

श्री ए0के0अग्रवाल, अभिभाषक–आवेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 12/9/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–09–2003 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक कमांक 1 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 29–8–2003 के विरूद्ध अपर आयुक्त के

समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण कमांक 264/2002–03/अपील दर्ज कर दिनांक 18–9–2003 को आदेश पारित कर अपील अग्राह्य करते हुये स्थगन आवेदन पत्र निरस्त किया गया है । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा स्थगन नहीं दिये जाने से प्रश्नाधीन भूमि से आवेदक को बेदखल कर दिया जायेगा जिससे उसे अपूर्णनीय क्षति होगी । उनके द्वारा अपर आयुक्त का आदेश निरस्त कर प्रकरण के निराकरण तक स्थगन दिये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ प्रकरण में अनावेदक के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। यह निगरानी अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–9–13 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है जिसके द्वारा अपर आयुक्त ने आवेदकगण का स्थगन आवेदन पत्र निरस्त किया है और केवल स्थगन के विरूद्ध यह निगरानी वर्ष 2003 से लंबित है । संहिता में हुये संशोधन के फलस्वरूप अब तीन माह से अधिक की अवधि का स्थगन नहीं दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण के गुणदोषों पर विचार कर स्थगन आवेदन पत्र निरस्त करने में पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है । ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 18–9–2003 स्थिर रखा जाकर अपर आयुक्त को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रकरण का शीघ निराकरण करें ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर